न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 30/2021 **जीसीएमएस नम्बर 2021/95**

अनवान

1. रामाराम पुत्र वीराराम।
2. नेनूदेवी बेवा वीराराम जातियान–कलबी, निवासीगण बिजरोल खेड़ा, तहसील सांचौर जिला जालोर।

प्रार्थीगण.....

1. सोनाराम पुत्र अमराराम (तथाकथित सोनाराम पुत्र मोटाराम) कलबी, निवासी बिजरोल खेड़ा, तहसील सांचौर, जिला सांचौर (राज.) फौत के वारीसानः–

   1/1 अखाराम पुत्र सोनाराम।

   1/2 गंगादेवी पत्नि सोनाराम।

   1/3 पार्वती पुत्री सोनाराम पत्नि भूराराम निवासी हाल राऊता।

   1/4 रखमो पुत्री सोनाराम पत्नि उमाराम निवासी हाल निम्बाऊ ।

   1/5 मथरो पुत्री सोनाराम पत्नि वीभाराम निवासी हाल धानता।

   1/6 हुआ पुत्री सोनाराम पत्नि डायाराम निवासी हाल धुम्बडीया।

   1/7 नाजू पुत्री सोनाराम पत्नि भोमाराम निवासी हाल भादरणा फौत के वारीसानः–

      1/7 अ. गोरधनराम पुत्र भोमाराम निवासी हाल भादरणा।

      1/7 ब. वरजू पुत्री भोमाराम निवासी हाल भादरणा।

      1/7 स. संगीता पुत्री भोमाराम निवासी हाल भादरणा।

2. अखाराम पुत्र सोनाराम जाति कलबी, निवासी बिजरोल खेड़ा, तहसील सांचौर।
3. पदभाराम पुत्र वीराराम जाति कलबी, निवासी बिजरोल खेड़ा, तहसील सांचौर,
4. शाखा प्रबन्धक बैंक शाखा देवडा, तहसील चितलवाना।
5. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर, जिला सांचौर (राज.)

अप्रार्थीगण.....

प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाडा एवं जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

रजु तारीखः–09.09.2021

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी, श्री शंकर चौधरी।
2. अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/3 से 1/6, 1/7 अ से 1/7 स, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हितेश कुमार।
3. अप्रार्थी संख्या 1/2 व 3 से 5 एकपक्षीय।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

–:निर्णयः–

दिनांकः– **16.02.2026**

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः– निम्बा के तीन पुत्र काजाराम, अमराराम एवं मोटाराम थे। काजाराम के दो पुत्र हरजी (निःसंतान) व वीरा थे। वीरा के पुत्र पदमाराम व रामाराम हैं, जो वाद में पक्षकार हैं। अमराराम के दो पुत्र मेगाराम (निःसंतान, अविवाहित मृत) व सोनाराम (अप्रार्थी संख्या 1) हैं। सोनाराम का पुत्र अखाराम (अप्रार्थी संख्या 2) है। मोटाराम निःसंतान थे, उनकी पत्नी रम्बा भी निःसंतान लगभग 35 वर्ष पूर्व मृत्यु को प्राप्त हुई। मोटाराम ने जीवनकाल में कोई विक्रय, वसीयत या हस्तांतरण नहीं किया। मोटाराम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रम्बा का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ। बाद में सोनाराम ने स्वयं को मोटाराम का पुत्र बताकर अवैध रूप से नामांतरण करवा लिया, जबकि वह मोटाराम का पुत्र नहीं, बल्कि अमराराम का पुत्र है। मोटाराम द्वारा न तो सोनाराम को गोद लिया गया और न ही संपत्ति का कोई वैध हस्तांतरण किया गया। अतः उक्त इन्द्राज विधिविरुद्ध व निरस्तीकरण योग्य हैं। मोटाराम निःसंतान एवं निर्वसीयत मृत्यु को प्राप्त होने से उनके निकटतम वारिस उनके सगे भाई काजाराम व अमराराम की संतानें हैं। अतः मोटाराम के हिस्से में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण क्रमशः बराबर–बराबर उत्तराधिकारी हैं। परंतु अप्रार्थीगण 1 व 2 ने संपूर्ण भूमि पर अवैध रूप से नाम दर्ज करवा लिया है और प्रार्थीगण को उनके वैधानिक अधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः निवेदन है कि वाद के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी मौजा बिजरोल गोलिया खसरा नं. 108 (0.01 है.), 109 (0.05 है.), 111 (9.26 है.), 111/357 (0.41 है.) कुल 9.77 हैक्टेयर व ग्राम बिजरोल खेड़ा खसरा नं. 488 (8.31 है.), 489 (1.80 है.) कुल 10.11 हैक्टेयर कुल रकबा 19.88 हैक्टेयर भूमि का विक्रय, रहन अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरण करने से अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिबंधित किया जाए तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश प्रदान किया जाए।
2. उक्त प्रकरण दिनांक 09.09.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भिजवाकर तलब किया, अप्रार्थीया संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/3 से 1/6, 1/7 अ से 1/7 स, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हितेश कुमार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1/2, 3 से 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र के अवतरण सं. 1 से 8 तक के समस्त कथन असत्य, मनगढ़ंत एवं निराधार होने से अस्वीकार किए जाते हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि वाके सरहद मौजा बिजरोल गोलिया के खसरा नं. 108 (0.01 हे.), 109 (0.05 हे.), 111 (9.26 हे.), 111/357 (0.41 हे.) कुल 9.77 हे. तथा ग्राम बिजरोल खेड़ा के खसरा नं. 488 (8.31 हे.), 489 (1.80 हे.) कुल 10.11 हे. भूमि, पुराने खसरा नं. 48 एवं 358 से नवसर्जित है। उक्त भूमि प्रथम पैमाइश से अमरा पुत्र निम्बा (1/2 हिस्सा) एवं रेबा बेवा मोटा (1/2 हिस्सा) के नाम दर्ज होकर उनके उत्तराधिकारियों

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

के नाम पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। निम्बा के केवल दो वैध पुत्र अमराराम एवं मोटाराम थे। काजाराम निम्बा का पुत्र या वारिस नहीं था, बल्कि काजा पुत्र जगमाल के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अतः काजाराम का उक्त भूमि में कोई अधिकार या हिस्सा नहीं था। उक्त आराजी मोटाराम एवं अमराराम की सर्वअर्जित संपत्ति है, जो प्रथम सेटलमेंट से निरंतर उनके एवं उनके वारिसानों के नाम दर्ज एवं कब्जे में चली आ रही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वंशावली एवं अन्य तथ्य पूर्णतः गलत एवं भ्रामक हैं। वादीगण का उक्त भूमि से कोई लेना–देना अथवा हक–हिस्सा नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आधारहीन, मिथ्या एवं केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, जिसे विधि विरुद्ध होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

4. बहस उभयपक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि निम्बा के तीन पुत्र काजाराम, अमराराम व मोटाराम थे। काजाराम के पुत्र वीरा (जिसके पुत्र पदमाराम व रामाराम दृ वादी) तथा हरजी (निःसंतान) थे। अमराराम के पुत्र मेगाराम (निःसंतान, अविवाहित मृत) व सोनाराम (अप्रार्थी–1) हैं, जिनका पुत्र अखाराम (अप्रार्थी–2) है। मोटाराम निःसंतान व निर्वसीयत मृत्यु को प्राप्त हुए तथा उन्होंने जीवनकाल में कोई विक्रय/वसीयत/हस्तांतरण नहीं किया। उनके पश्चात पत्नी रम्बा का नाम दर्ज हुआ। बाद में सोनाराम ने स्वयं को मोटाराम का पुत्र बताकर अवैध रूप से नामांतरण करवा लिया, जबकि वह अमराराम का पुत्र है; न तो गोद लिया गया और न कोई वैध हस्तांतरण हुआ। अतः उक्त इन्द्राज अवैध व निरस्तीकरण योग्य है। मोटाराम के निःसंतान निधन पर उनके हिस्से के वैध वारिस काजाराम व अमराराम की संतानें बराबर–बराबर हैं। किन्तु अप्रार्थीगण 1 व 2 ने सम्पूर्ण भूमि पर अवैध नाम दर्ज करवा लिया है। अतः निवेदन है कि वाद के अंतिम निर्णय तक मौजा बिजरोल गोलिया व बिजरोल खेड़ा स्थित कुल रकबा 19.88 हैक्टेयर भूमि के विक्रय/रहन/हस्तांतरण पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश प्रदान किया जाए।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने दौराने बहस उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए यह निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के अवतरण सं. 1 से 8 तक के कथन असत्य एवं निराधार होने से अस्वीकार हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि मौजा बिजरोल गोलिया के खसरा नं. 108, 109, 111, 111/357 (कुल 9.77 हे.) तथा ग्राम बिजरोल खेड़ा के खसरा नं. 488, 489 (कुल 10.11 हे.) भूमि पुराने खसरा नं. 48 व 358 से नवसर्जित है। यह भूमि प्रथम पैमाइश से अमरा पुत्र निम्बा एवं रेबा बेवा मोटा के नाम आधा–आधा दर्ज होकर उनके वैध वारिसानों के नाम पीढ़ी–दर–पीढ़ी राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। निम्बा के केवल दो पुत्र अमराराम व मोटाराम थे। काजाराम, निम्बा का पुत्र या वारिस नहीं था तथा उसका उक्त भूमि में कोई अधिकार नहीं है। यह संपत्ति अमराराम व मोटाराम की सर्वअर्जित होकर निरंतर उनके व उनके वारिसों के नाम दर्ज व कब्जे में है। वादीगण की वंशावली व कथन भ्रामक एवं आधारहीन हैं। अतः प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। एवं उस पर मनन किया गया। हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली– भांति अध्ययन किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

अवलोकन किया। अतः हम प्रकरण को अस्थाई व्यादेश से संबंधित निम्नालिखित तीन सारभूत बिन्दुओं के आधार पर विवेचना करते हुए निर्णित करना उचित समझते है।

अ. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् पेश किया गया है और मूल दावा खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया गया है प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी में मोटाराम पुत्र निम्बा का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में होने से तथा मोटाराम प्रथम सेंटलमेट से पूर्व फौत होने पर उसकी पत्नी रम्बा के नाम आराजी होने व उसके फौत होने पर सोनाराम के नाम नामान्तकरण स्वीकृत हुआ जबकि सोनाराम मोटाराम का पुत्र न होकर अमराराम का पुत्र है इसके उपरान्त मोटाराम की पूरी जमीन हड़पने की नियत से अपने आप को मोटाराम का पुत्र बताकर नामान्तरकरण भरवाया है जो विधि विरूद्ध होने से तथा मृतक मोटाराम के उसके सगे भाई काजाराम व अमराराम दोनों के पुत्रगण वारिसान् होने से दोनों पुत्रों का बराबर बराबर हक होने से व प्रार्थीगण काजाराम के उत्तराधिकारी बताया है जबकि प्रार्थीगण ने न्यायालय में ऐसा एक भी दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि सोनाराम मोटाराम का उत्तराधिकारी हो तथा प्रार्थीगण ने नामान्तरकरण संख्या 53 विधि–विरूद्ध तरिके से दर्ज होना बताया है परन्तु प्रार्थीगण ने नामान्तरकरण संख्या 53 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय मे कोई अपील पेश नहीं की है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 सोनाराम व उनके फौत होने पर उनके वारिशान् अखाराम वगैरह वादग्रस्त आराजी के रेकॉर्डेड खातेदार है तथा यह स्पष्ट है कि किसी भी रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है तथा प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के दोनों पक्षों की साक्ष्य आने के बाद, तनकीयात निर्धारण के बाद गुणावगुण पर तय किये जायेंगे इस स्टेज पर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थीगण अपने हक में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में पूर्णतयाः असफल रहे है अतः इस बिन्दु का निर्णय प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

ब. सुविधा का संतुलन व अपूरर्णीय क्षति :– हस्तगत मामले में प्रार्थीगण विवादित आराजी के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में पूरी तरह से असफल रहे है। क्योकि वादग्रस्त आराजी मौजा बिजरोल गोलिया के खेत खसरा संख्या 108, 109, 110, 111, 111/357 एवं मौजा बिजरोल खेड़ा के खेत खसरा संख्या 488, 489 जो मोटा वल्द निम्बा की 1/2 हिस्से की आराजी होना बताकर व प्रार्थीगण का मोटा या उसकी पत्नी रम्बा की आराजी में अपना हक बताकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, परन्तु उक्त आराजी में रम्बा बैवा मोटा राजस्व रेकर्ड में, दर्ज होने तथा रम्बा के फौत होने पर सोना वल्द मोटा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है जबकि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार सोना मोटा का पुत्र न होकर अमरा का पुत्र होना बताया है, जबकि ऐसा होता तो प्रार्थीगण सोनाराम के विरूद्ध घोषणा की कार्यवाही करते, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है, इस प्रकार अप्रार्थीगण एक रेकॉर्डेड खातेदार है यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उनकी खातेदारी भूमिम के उपयोग– उपभोग से रोका गया तो प्रार्थीगण की बजाय अप्रार्थीगण को ही भारी असुविधा व अपूरर्णीय क्षति होगी, अतः

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

उपरोक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। इसलिए उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण ने विरूद्ध तय किये जाते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीनो बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध/साबित होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, साचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

निर्णय आज दिनांक 16/02/26 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, साचौर * जिला जालोर *